राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,
दूरभाष 01412716421 Email- shgcell.we@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ190/we/wshgi/B-A.-120/PIGWEES/2019–20/ 4080 जयपुर, दिनांक 10-2-20

संशोधित
"इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना"

1. प्रस्तावना :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के उद्देश्य से बजट घोषणा संख्या 120 वर्ष 2019–20 में राशि रू. 1000 करोड़ की इंदिरा महिला शक्ति निधि के गठन की घोषणा की है। उक्त निधि का उपयोग महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग, आधुनिक अनुसंधान हेतु सहायता, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, जागरूकता हेतु शिक्षा तथा पीड़ित महिलाओं के पुर्नवास संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा। उक्त निधि से महिलाओं को उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु बैंकों के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाकर रोजगार के नवीन अवसर सृजित करने के उद्देश्य से इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की जायेगी, इससे महिलाओं को उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी ।

2. योजना का नाम एवं प्रवर्तन अवधि :–

योजना का नाम **"इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना "** होगा, इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। योजना दिनांक 18 दिसम्बर 2019 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी।

3. योजना का स्वरूप :–

योजना अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ–साथ पूर्व स्थापित उद्यम भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण इत्यादि हेतु लाभान्वित हो सकेंगे। योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत महिला आवेदक के साथ साथ संस्थागत आवेदक (महिला स्वयं सहायता समूह/ महिला स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर/ महिला स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन) भी पात्र होंगे। यदि कोई महिला फर्म या कम्पनी बनाती है तो उसे भी ऋण अनुदान देय होगा। योजनान्तर्गत उद्यम का स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा ।

4. पात्रता की शर्तें :–

क. व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक होगी।

ख आवेदक (व्यक्तिगत/संस्थागत) राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।

ग. महिला स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के समूह (क्लस्टर/ फेडरेशन) का राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होना आवश्यक है तथा समूहों के क्लस्टर/ फेडरेशन की स्थिति में उनका नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के तहत् पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

उक्त शर्तों के भीतर विभिन्न संस्थागत आवेदकों के लिये पात्रता, वरीयता आदि से संबंधित अन्य शर्तें महिला अधिकारिता द्वारा निर्धारित की जाने वाली योजना के कियान्वयन की मार्गदर्शिका के अनुसार होंगी।

5. ऋणदात्री संस्थाएं :–

योजना अन्तर्गत निम्नांकित संस्थाएं ऋण उपलब्ध करा सकेंगी :–

(i) राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक।
(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक।
(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
(iv) राजस्थान वित्त निगम।
(v) सिडबी।

6. योजना कियान्वयन एजेन्सी :–

इस योजना का कियान्वयन निदेशालय, महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। निदेशालय, महिला अधिकारिता राज्य स्तर पर योजना के कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेन्सी होगा।

7. ऋण सीमा, ब्याज अनुदान की दर, सम्पार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) **संबंधी प्रावधान :–**

(i) **ऋण सीमा :–** इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु संयत्र एवं मशीन, वर्क शेड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 1 करोड़ रू. तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी.लिमिट सहित) होगा। ऋण सीमा अलग अलग आवेदक श्रेणीवार निम्नानुसार होगी–

क.सं.	आवेदक श्रेणी	अधिकतम ऋण राशि
1	व्यक्तिगत आवेदक/स्वयं सहायता समूह	50 लाख रू. तक
2	स्वयं सहायता समूहों का समूह (क्लस्टर या फेडरेशन)	1 करोड़ रू. तक

(ii) **ऋण अनुदान (Margin money)** :– योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण राशि पर 25 प्रतिशत ऋण अनुदान**(Margin money)** दिया जायेगा। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /विधवा/ परित्यक्ता/ हिंसा से पीड़ित तथा दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं के प्रकरण में ऋण अनुदान स्वीकृत ऋण राशि का 30 प्रतिशत होगा।